PROGRAMME OF CULTURAL COOPERATION AND EXCHANGES

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

AND

THE GOVERNMENT OF
THE FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA

FOR THE YEARS 2024-2029



A.

The Government of the Republic of India and the Government of the Federal Republic of Nigeria Hereinafter jointly referred as "the Parties" and singularly as "the Party"

RECALLING the implementation of the Cultural and Educational Agreement signed between the Parties in Nigeria on 14th September, 1982.

DESIRING to strengthen the friendly links between the Parties so as to deepen cultural relations between them;

CONVINCED that the cultural cooperation between India and Nigeria can meaningfully contribute to strengthen the bonds of friendship and mutual understanding between the two countries, as well as raise the level of knowledge and experience between the two countries;

RECOGNIZING the principles of sovereignty, equality and territorial integrity of both Parties.

GUIDED by the desire to promote the cultural values of both Parties in accordance with the national legislation(s).

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1

OBJECTIVE

The objective of this Programme is to encourage cooperation between cultural institutions of the parties in order to develop activities which may contribute to the improvement of the mutual knowledge of both States and the diffusion of their respective Cultures.

ARTICLE 2

AREAS OF COOPERATION

- In acknowledging the importance of cultural heritage and pursuant to the existing domestic laws and regulations in force in their respective territories, the Parties will:
 - (i) Exchange music and dance ensembles and/or individual performing artists including classical and folk troupes accompanied by two (2) officials for a

period not exceeding ten (10) days each. Date and other details of such exchange will be mutually agreed upon by the Parties through diplomatic channel;

- (ii) Facilitate exchange of theatre performances in both countries and as well participate in local and international theatre festivals/carnivals on mutually agreed terms;
- (iii) Exchange cultural journals and publications on a reciprocal basis between the two States on mutually agreed terms;
- (iv) Encourage exchange of contemporary and modern art exhibitions between the two States on reciprocal basis on mutually agreed terms;
- (v) Invite experts from each other's State to participate in International seminars, symposiums, camps, residencies etc. on culture and arts
- (vi) Support cooperation in the field of archaeology through the protection, conservation and promotion of the cultural and heritage of both States;
- (vii) Exchange one (1) expert each in the field of protection and conservation of ancient monuments and archaeological sites, art objects, and development of archaeological museums for a two-week period. Details of which be mutually agreed upon by the Parties through diplomatic channels;

2. Develop each other's Archives:

- (a) Promote exchange of information, experiences and documentation concerning the history of Nigeria in the Archives of India and the history of India in the Archives of Nigeria as well as copies of documents (digital copies) of interest to the Parties in order to replenish in respective collections. Modalities will be worked out through mutual consultations;
- (b) Exchange of experts for a period of one (1) week in each case, in the field of Records Management, Archives Administration, Conservation and digital Preservation of Records as well as digitization;
- (c) The National Archives of India will provide professional training facilities to officials and students of Nigeria in the courses run by the School of Archival Studies. Similarly, the National Archives of Nigeria will provide professional training courses to officials of National Archives of India.

3. Libraries and Literature:

(a) Assist in exchange of visits of library experts reciprocally with view to promoting library activities between the countries and will also exchange



publications and other reading materials of mutual interest on reciprocal basis. Details of such visits will be finalized through diplomatic channels;

(b) Promote the translation of literary works of famous writers and poets in both countries and will exchange a writer's delegation on a reciprocal basis. Details of such visits will be mutually decided by the Parties through diplomatic channels

4. Museums:

- (a) The National Museums on both sides will exchange exhibitions, museum exhibits and museum personnel. Exhibitions may also be organized jointly by the respective museums. Details will be finalized through diplomatic channel.
- (b) Exchange of the museum personnel/experts including Curators, Deputy Curators, Research Officer, Assistant Curators, Conservators for a period of four (4) weeks to share the knowledge and expertise in respective fields.
- (c) Exchange of one senior level Science Communication professional to study Science Centre's/ Museums & non-formal science education programmes in India & Nigeria. The professional from Nigeria will visit India to study NCSM Museums/Centre programme for identifying and strengthening collaborative avenues for development of interactive science Centers & non-formal science learning Centers, etc. The duration of the visit will be one (1) week each

5. Facilitate Research and Documentation in the following areas:

- (a) Study of the artistic heritage, Folklore/folk traditions and narrative forms;
- (b) Devising creative activities for cognitive and skills development of the students;
- (c) Exploring possibilities of developing educational activities at Art Academics, Museums, Cultural Centers and Educational Institutions for children;
- (d) Development of audio-visual and printed educational materials for students and teachers to have better understanding of tangible and intangible art forms of both the States;
- (e) Documentation of the Arts, Museum objects and Production and promotion of Cultural Resources of both States;
- (f) Exchange visits of experts in anthropology and museology of different institutes of both the countries.



6. Participate in each other's festivals / carnivals, which will include the exchange of tours of performing arts groups of multiple participants from each side. The details of these tours and other activities included will be developed and agreed upon through diplomatic channels

7. Mass Media and films

- (a) Exchange programme depicting various facets of life and culture in the two States through their respective radio and TV organization
- (b) Endeavour to strengthen relations between their national broadcasting organizations by exchange of Programmes, professionals and by utilizing training expertise which will be mutually agreed upon by the Parties through diplomatic channels
- (c) Invite each other to its International Film Festivals
- (d) encourage cooperation in films, including capacity-building and technical support through separate Memorandum of Understanding (MoU) between the authorized institutions of both Parties.
- 8. Encourage exchange knowledge and skills on new concept of Digital Culture as a means to access each other's cultural/industrial heritage in accordance with respective national legislations/norms
- 9. Encourage capacity building/ training of culture experts/administators/ stakeholders in calligraphy, paintings, 3D Arts in terms of processing and techniques as is relevant and related to each field of the arts in focus.
- 10. Encourage each country to open non-profit cultural establishment(s) in each other's State for the purpose of cultural diplomacy and closer cooperation

Article 3

Competent Authorities

- 1. The Competent Authorities responsible for the implementation of this Programme will be:
 - (a) In the case of the Government of the Federal Republic of Nigeria, Federal Ministry of Information & Culture and:



- (b) In the case of the Government of the Republic of India, Ministry of Culture, Arts and Tourism.
- 2. The Competent Authorities intend to be responsible for:
 - (a) Identification of programmes and implementing agencies on behalf of their respective countries
 - (b) Monitoring and evaluating of results
 - (c) Review of progress; and
- (d) The consideration of any other aspect relevant to the promotion of cooperation between the parties.

Article 4

Exchange of Individuals / Delegations

The sending Party will send to the receiving Party the bio-data (including languages spoken and proposed itinerary) of the delegation or individuals selected under this Programme at least two (2) months in advance of the expected date of visit and bio-data of performing groups at an exhibition four (4) months in advance. The receiving Party will inform the other Party about agreeing to receive or postponing the date at least one month in advance.

Article 5

Exchange of Exhibitions

Separate agreement will be reached between the Sending Party and the receiving Party with regards to exhibition. The Sending Party will inform the receiving Party about the technical details of the proposed exhibition. The necessary information for the elaboration of the corresponding catalogue must be sent three (3) months before the inauguration date. The art exhibits must arrive at their destination fifteen (15) days before the opening of the exhibition.

Article 6

Exchange of Materials

Each Party will have the right to use the materials exchanged in the fields of culture, information and Mass Media in its own programmes and such materials will not be given by the receiving Party to a third Party without the written approval of the owner party.



Article 7

Cost of Expenses

- 1. Each party will bear its own expenses including all costs of transportation to and fro the point of entry into the host country as well as all expenses concerning its personnel including that of meals and accommodation unless otherwise agreed in writing by the parties.
- 2. The Sending Party will provide international travel expenses in respect of their performing groups and delegation in case of visits for a period not exceeding one (1) month. The receiving Party will provide hospitality which includes free local boarding and lodging, internal travel expenses and medical care in case of sudden illness. This is applicable in respect of both Parties. The arrangements for visits exceeding one month will be decided through mutual consultations.

Article 8

Waivers and Exemptions

In accordance with the domestic laws in force in its territory, each Party will grant the other, duty free on equipment imported for the implementation of this Programme provided they are not sold or disposed of in which case, same would attract appropriate duties and taxes.

Article 9


Establishment of Joint Implementation Committee

The Parties may establish a Joint Committee to review the implementation of this **Programme**. The Committee may meet once in a year alternately in the capitals of each other's State for consultation as it may be deemed necessary and will lay down the agenda of the next consultations.

Article 10

Settlement of Disputes

Any dispute that may arise between the Parties concerning the interpretation and implementation of this Programme will be settled amicably through diplomatic channels.



Article 11

Amendments

- 1. This Programme will be amended by mutual consent of the Parties in writing through diplomatic channels. Any amendments agreed to by the Parties will enter into force on the date of exchange of notes.
- 2. Any amendments agreed upon by the Parties **will** become an annexure to this Programme.

Article 12

Other International Obligations

This Programme shall not affect the validity of any obligation arising from any other International Agreements, Conventions, Treaties, or Protocols the Parties herein have signed and are Parties to.

Article 13

Entry into Force

This Programme of Cultural Cooperation will enter into force on the date of its signature between the Parties.

ARTICLE 14

Duration

This Progeramme will also remain valid after the entry of all signatures for a period of five years -2024 - 2029.

ARTICLE 15

Termination

Unless either party terminates this Programme by serving six (6) months' notice in writing prior to the intended date of termination, through diplomatic channels, to the other Party, the Programme will run its course uninterrupted till the completion of its tenure.



A.

ARTICLE 16

UNEXPIRED AND EXISITING OBLIGATIONS

- In the event of the termination or expiration of this Programme, its provisions and separate provisions of any Conventions, Contracts and Agreement will continue to govern any unexpired and existing obligations or projects assumed or connected thereunder.
- (b) Any such obligations will be carried unto completion

In Witness Whereof, the undersigned being duly authorized by their respective Governments have signed this Programme in two original texts, each in the Hindi and the English languages, both texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

Done at Abuja on this 15th Day of November 2024

FOR: THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

Signature

Name

DAMMU RAVI Secretary (EN) Designation

FOR: THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA

Signature Signature J. Attmes

Name AMB. BUNOMA U. Attmes

Designation RERMANENT SECRETARY

भारत गणराज्य की सरकार तथा

संघीय गणराज्य नाइजीरिया की सरकार के बीच

वर्ष 2024-2029 के लिए सांस्कृतिक सहयोग और आदान-प्रदान कार्यक्रम

A

भारत गणराज्य और संघीय गणराज्य नाइजीरिया की सरकार (जिन्हें तत्पश्चात संयुक्त रूप से "दोनों पक्ष" और पृथक रूप से "पक्ष" कहा गया है)

14 सितंबर, 1982 को नाइजीरिया में दोनों पक्ष के बीच हस्ताक्षरित सांस्कृतिक और शैक्षिक समझौते के कार्यान्वयन का स्मरण करते हुए;

दोनों पक्ष के बीच सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए इनके मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करने की इच्छा से ;

इस बात से आश्वस्त होकर कि भारत और नाइजीरिया के बीच सांस्कृतिक सहयोग, इनके मैत्रीपूर्ण संबंधों और आपसी समझ को सुदृढ़ करने में सार्थक योगदान देने के साथ-साथ दोनों देशों के बीच ज्ञान और अनुभव के स्तर को बढ़ा सकता है;

दोनों पक्ष की संप्रभुता, समानता और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों को मान्यता प्रदान करते हुए;

दोनों देशों के राष्ट्रीय कानून के अनुसार दोनों पक्ष के सांस्कृतिक मूल्यों को संवर्धित करने की इच्छा से अभिप्रेरित होकर;

निम्नलिखित रूप से सहमत हुए हैं:

अन्च्छेद 1

उद्देश्य

इस कार्यक्रम का उद्देश्य दोनों पक्ष की सांस्कृतिक संस्थाओं के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना है, ताकि दोनों देशों के आपसी ज्ञान में सुधार और उनकी संबंधित संस्कृतियों के प्रसार में योगदान देने वाले कार्यकलाप विकसित किए जा सकें।



A.

सहयोग के क्षेत्र

- 1. सांस्कृतिक विरासत के महत्व को स्वीकार करते हुए तथा अपने-अपने देश में लागू मौजूदा विधि सम्मत कानूनों और विनियमों के अनुसार, दोनों पक्ष:
 - (i) संगीत और नृत्य समूहों और/या शास्त्रीय और लोक मंडलियों सहित व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुति देने वाले कलाकारों का दस (10) दिनों से कम की अवधि के लिए आदान-प्रदान करेंगे, जिसमें दो (2) पदधारी सम्मिलित होंगे। ऐसे आदान-प्रदान की तारीख और अन्य विवरण राजनियक माध्यम से दोनों पक्ष की परस्पर सहमित के आधार पर तय किए जाएंगे;
 - (ii) दोनों पक्ष, परस्पर रूप से सहमत शर्तों पर दोनों देशों में रंगमंच प्रस्तुतियों के आदान-प्रदान और स्थानीय एवं अंतरराष्ट्रीय रंगमंच महोत्सवों/कार्निवल में सहभागिता को प्रोत्साहित करेंगे;
 - (iii) दोनों पक्ष, परस्पर रूप से सहमत शर्तों पर दोनों देशों के बीच आपसी आधार पर रंगमंच संबंधी पत्रिकाओं और प्रकाशनों का आदान-प्रदान करेंगे;
 - (iv) दोनों पक्ष, परस्पर रूप से सहमत शर्तों पर आपसी आधार पर दोनों देशों के बीच समकालीन और आधुनिक कला प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान करेंगे।;
 - (v) दोनों पक्ष, संस्कृति और कला पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों, विचार-गोष्ठियों, सम्मेलनों, शिविरों, आवासीय कार्यक्रमों आदि में भाग लेने के लिए दूसरे पक्ष के विशेषज्ञों को आमंत्रित करेंगे।
 - (vi) दोनों पक्ष, दोनों देशों की सांस्कृतिक विरासत की संरक्षा, संरक्षण और संवर्धन के माध्यम से प्रातत्व विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग का समर्थन करेंगे;
 - (vii) दोनों पक्ष, दो सप्ताह की अवधि के लिए प्राचीन स्मारकों और पुरातत्वीय स्थलों, कला वस्तुओं की संरक्षा और संरक्षण तथा पुरातत्वीय स्थल संग्रहालयों के विकास के क्षेत्र में, प्रत्येक के लिए, एक-एक विशेषज्ञ का आदान-प्रदान



D

करेंगे, जिसके ब्यौरे राजनियक चैनलों के माध्यम से दोनों पक्ष द्वारा परस्पर रूप से तय किए जाएंगे;

2. एक दूसरे के अभिलेखागारों का विकास:

- (क) दोनों पक्ष, संबंधित संग्रहों में पुन: पूर्ति के लिए भारत के अभिलेखागार में नाइजीरिया के इतिहास और नाइजीरिया के अभिलेखागार में भारत के इतिहास से संबंधित सूचना, अनुभव और दस्तावेज़ीकरण के आदान-प्रदान को बढ़ावा देंगे, साथ ही दस्तावेजों (डिजिटल प्रतियां) की प्रतियों का आदान-प्रदान करेंगे। तत्संबंधी कार्यविधियां परस्पर परामर्श के द्वारा तय की जाएंगी।
- (ख) दोनों पक्ष, अभिलेख प्रबंधन, अभिलेखागार प्रशासन और अभिलेखों के संरक्षण, अभिलेखों के डिजिटल परिरक्षण और डिजिटलीकरण के क्षेत्र में, प्रत्येक मामले में, एक सप्ताह की अवधि के लिए विशेषज्ञों का आदान-प्रदान करेंगे।
- (ग) भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार, नाइजीरिया के अधिकारियों और छात्रों को अभिलेखीय अध्ययन विद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करेगा। इसी प्रकार, नाइजीरिया का राष्ट्रीय अभिलेखागार, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के अधिकारियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करेगा।

3. पुस्तकालय और साहित्य:

(क) दोनों पक्ष, दोनों देशों के बीच पुस्तकालय कार्यकलापों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से परस्पर रूप से पुस्तकालय विशेषज्ञों के दौरों और परस्पर रूप से पुस्तकालय विशेषज्ञों के दौरों और परस्पर रूचि के प्रकाशनों और अन्य पठन सामग्री के आदान-प्रदान में सहायता करेंगे। तत्संबंधी ब्यौरों को राजनयिक चैनलों के माध्यम से अंतिम रूप दिया जाएगा।



(ख) दोनों पक्ष, दोनों देशों के प्रसिद्ध लेखकों और कवियों की साहित्यिक कृतियों के अनुवाद को बढ़ावा देंगे और पारस्परिक आधार पर लेखकों के प्रतिनिधिमंडल का आदान-प्रदान करेंगे। तत्संबंधी ब्यौरों को राजनियक चैनलों के माध्यम से अंतिम रूप दिया जाएगा।

संग्रहालय:

- (क) दोनों पक्षों के राष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शनियों, संग्रहालय प्रदर्शों तथा संग्रहालय कार्मिकों का आदान-प्रदान करेंगे। संबंधित संग्रहालयों द्वारा संयुक्त रूप से प्रदर्शनियां भी आयोजित की जा सकती है। तत्संबंधी ब्यौरों को राजनियक चैनलों के माध्यम से अंतिम रूप दिया जाएगा।
- (ख) संबंधित क्षेत्रों में ज्ञान और विशेषज्ञता को साझा करने के लिए संग्रहाध्यक्षों, उपसंग्रहाध्यक्षों, अनुसंधान अधिकारियों, सहायक संग्रहाध्यक्षों, संरक्षकों सिहत संग्रहालय के कार्मिकों/विशेषज्ञों का चार सप्ताह की अविध के लिए आदान-प्रदान।
- (ग) भारत और नाइजीरिया में विज्ञान केंद्रों/संग्रहालयों और अनौपचारिक विज्ञान शिक्षा कार्यक्रमों का अध्ययन करने के लिए एक वरिष्ठ स्तर के विज्ञान संचार व्यावसायिक का आदान-प्रदान। नाइजीरिया के व्यावसायिक संवादमूलक विज्ञान केंद्रों और अनौपचारिक विज्ञान शिक्षण केंद्रों आदि के विकास के लिए सहयोगात्मक क्षेत्रों की पहचान करने और उन्हें सुदृढ़ करने हेतु एनसीएसएम संग्रहालय/केंद्र कार्यक्रम का अध्ययन करने के लिए भारत का दौरा करेंगे। प्रत्येक के लिए यात्रा की अवधि एक (1) सप्ताह होगी।

5. निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुसंधान और प्रलेखन को सुविधाजनक बनाना:

- क) कलात्मक विरासत, लोक साहित्य/लोक परम्परा तथा कथा रूपों का अध्ययन।
- ख) छात्रों के ज्ञानात्मक तथा कौशल विकास के लिए रचनात्मक कार्यकलाप तैयार करना।



- ग) बच्चों के लिए कला अकादेमियों, संग्रहालयों, सांस्कृतिक केन्द्रों और शैक्षिक संस्थाओं में शैक्षणिक कार्यकलापों को विकसित करने की संभावनाओं का पता लगाना।
- घ) दोनों देशों के मूर्त और अमूर्त कला रूपों की बेहतर समझ के लिए छात्रों और अध्यापकों के लिए श्रव्य-दृश्य तथा मुद्रित शैक्षिक सामग्रियों का विकास करना।
- ड.) दोनों देशों की कला, संग्रहालय वस्तुओं का प्रलेखन करना तथा सांस्कृतिक संसाधनों का निर्माण करना।
- (च) दोनों देशों के विभिन्न संस्थानों के मानवविज्ञान और संग्रहालय विज्ञान विशेषज्ञों के आदान-प्रदान दौरे।
- 6. दोनों पक्ष, एक-दूसरे के देश में महोत्सव/कार्निवल आयोजित करेंगे, जिसमें प्रत्येक पक्ष के बहु प्रतिभागियों वाले मंचकला समूहों के आदान-प्रदान दौरे शामिल होंगे। इन दौरों और इनमें शामिल अन्य कार्यकलापों के ब्यौरे राजनियक चैनलों के माध्यम से विकसित और तय किए जाएंगे।

7. जनसंचार माध्यम और फिल्में

- (क) दोनों देशों में उनके संबंधित रेडियो और टीवी संगठनों के माध्यम से जीवन और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने वाला आदान-प्रदान कार्यक्रम
- (ख) कार्यक्रमों, पेशेवरों के आदान-प्रदान और प्रशिक्षण विशेषज्ञता का उपयोग करके अपने-अपने राष्ट्रीय प्रसारण संगठनों के बीच संबंधों को सुदृढ़ करने का प्रयास करना, जिस पर राजनयिक चैनलों के माध्यम से दोनों पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमति कायम की जाएगी।
- (ग) अपने-अपने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में एक दूसरे को आमंत्रित करना।
- (घ) दोनों पक्षों के प्राधिकृत संस्थानों के बीच अलग-अलग समझौता ज्ञापनों (एमओय्) के माध्यम से क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता सहित फिल्मों में सहयोग को प्रोत्साहित करना।



- 8. राष्ट्रीय कानूनों/मानदंडों के अनुरूप एक-दूसरे की सांस्कृतिक/औद्योगिक विरासत तक पहुंच कायम करने के साधन के रूप में डिजिटल संस्कृति की नई अवधारणा पर ज्ञान और कौशल के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना।
- 9. प्रसंस्करण और तकनीकें, जो संकेन्द्रित कलाओं के प्रत्येक क्षेत्र हेतु संगत और उनसे सम्बद्ध हैं, के अनुरूप सुलेखन, चित्रकला, 3डी कलाओं में संस्कृति विशेषज्ञों/प्रशासकों/हितधारकों के क्षमता निर्माण/प्राशिक्षण को बढ़ावा देना।
- 10. सांस्कृतिक कूटनीति और निकट सहयोग के प्रयोजनार्थ प्रत्येक देश को एक-दूसरे के यहां गैर-लाभअर्जक सांस्कृतिक प्रतिष्ठान खोलने के लिए प्रोत्साहित करना।

सक्षम प्राधिकरण

- 1. इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी सक्षम प्राधिकरण निम्नानुसार होंगे:
- (क) संघीय गणराज्य नाइजीरिया की सरकार के मामले में, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड कल्चर;
- (ख) भारत गणराज्य की सरकार के मामले में, संस्कृति, कला और पर्यटन मंत्रालय।
- 2. सक्षम प्राधिकरण निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होंगे:
- (क) अपने-अपने देश की ओर से कार्यक्रमों और कार्यान्वयन एजेंसियों की पहचान करना:
 - (ख) परिणामों की निगरानी और मूल्यांकन;
 - (ग) प्रगति की समीक्षा; और
- (घ) दोनों पक्ष के बीच सहयोग को बढ़ावा देने हेतु किसी अन्य संगत पहलू पर विचार करना।



अन्च्छेद 4

व्यक्तियों/प्रतिनिधि मंडलों का आदान-प्रदान

प्रेषक पक्ष इस कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित प्रतिनिधिमंडल या व्यक्तियों के जीवनवृत्त (बोली जाने वाली भाषाओं और प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम सिहत) यात्रा की अपेक्षित तारीख से कम से कम दो (2) माह पहले और किसी प्रदर्शनी में प्रदर्शन करने वाले समूह का जीवनवृत्त चार (4) माह पहले प्राप्तकर्ता पक्ष को भेजेगा। प्राप्तकर्ता पक्ष दूसरे पक्ष को कम से कम एक माह पहले प्राप्ति की सहमित या स्थिगत करने संबंधी तारीख के बारे में सूचित करेगा।

अन्च्छेद 5

प्रदर्शनी का आदान-प्रदान

प्रदर्शनी के संबंध में प्रेषक पक्ष और प्राप्तकर्ता पक्ष के बीच अलग-अलग करार किया जाएगा। प्रेषक पक्ष प्रस्तावित प्रदर्शनी के तकनीकी विवरण के बारे में प्राप्तकर्ता पक्ष को सूचित करेगा। संबंधित सूची के विस्तार के लिए आवश्यक जानकारी उद्घाटन की तारीख से तीन (3) माह पहले भेजी जानी चाहिए। कला प्रदर्शों को प्रदर्शनी के उद्घाटन से पंद्रह (15) दिन पहले अपने गंतव्य पर पहुंच जाना चाहिए।

अन्च्छेद ६

सामग्रियों का आदान-प्रदान

प्रत्येक पक्ष को अपने स्वयं के कार्यक्रमों में संस्कृति, सूचना और जनसंचार माध्यम के क्षेत्रों में आदान-प्रदान की गई सामग्रियों का उपयोग करने का अधिकार होगा और ऐसी सामग्रियां प्राप्तकर्ता पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष की लिखित सहमति के बिना किसी तीसरे पक्ष को नहीं दी जानी चाहिए।



R

खर्च की लागत

- 1. प्रत्येक पक्ष मेजबान देश में प्रवेश स्थान तक और वहां सभी परिवहन लागतों के साथ-साथ भोजन और आवास सहित अपने कार्मिकों के सभी खर्च वहन करेगा, जब तक कि दोनों पक्ष की लिखित रूप में अन्यथा सहमति न हो।
- 2. प्रेषक पक्ष एक (1) माह से अधिक की अवधि की यात्राओं के मामले में अपने प्रदर्शन कर्ता समूहों और प्रतिनिधिमंडलों के संबंध में अंतरराष्ट्रीय यात्रा व्यय प्रदान करेगा। प्राप्तकर्ता पक्ष आतिथ्य प्रदान करेगा जिसमें नि:शुल्क स्थानीय भोजन एवं आवासन, आंतरिक यात्रा व्यय और अचानक रोगग्रस्त होने के मामले में चिकित्सा देखभाल शामिल है। यह दोनों पक्षों के संबंध में लागू है। एक माह से अधिक की यात्राओं की व्यवस्था परस्पर परामर्श से तय की जाएगी।

अनुच्छेद 8

वेवर और छूट

प्रत्येक पक्ष अपने-अपने देशों में लागू कानूनों के अनुसार, इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए आयातित उपकरणों पर दूसरे पक्ष को शुल्क रहित सुविधा प्रदान करेगा, बशर्ते कि उनका विक्रय या निपटाया न जाए, जिस स्थिति में यथोचित शुल्क और कर का भुगतान करना होगा।

अनुच्छेद 9

संयुक्त कार्यान्वयन समिति का गठन

दोनों पक्ष इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए एक संयुक्त समिति का गठन कर सकते हैं। समिति आवश्यकता होने पर परामर्श के लिए वर्ष में एक बार बारी-बारी से एक-दूसरे के देश की राजधानियों में बैठक कर सकती है जिसमें आगामी परामर्शों की कार्यसूची निर्धारित की जा सकती है।

A

Page **9** of **11**

विवादों का निपटान

इस कार्यक्रम की व्याख्या और कार्यान्वयन के संबंध में दोनों पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को राजनयिक चैनलों के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाया जाएगा।

अनुच्छेद 11

संशोधन

- इस कार्यक्रम में राजनियक चैनलों के माध्यम से लिखित रूप में दोनों पक्ष की आपसी सहमित से संशोधन किया जा सकता है। दोनों पक्ष द्वारा सहमत कोई भी संशोधन सूचना आदान-प्रदान की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. दोनों पक्ष की सहमति से किया गया कोई भी संशोधन इस कार्यक्रम का अनुलग्नक बन जाएगा।

अनुच्छेद 12

अन्य अंतरराष्ट्रीय दायित्व

यह कार्यक्रम ऐसे किन्हीं अन्य अंतरराष्ट्रीय समझौतों, सम्मेलनों, संधियों या नयाचारों से उत्पन्न किसी भी दायित्व की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा, जिन पर दोनों पक्ष ने हस्ताक्षर किए हैं और वे इसके पक्षकार हैं।

अनुच्छेद 13

प्रवृत्त होने की तारीख

यह सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम दोनों पक्ष के बीच हस्ताक्षर की तारीख को प्रवृत्त होगा।

अनुच्छेद 14

कार्यावधि

यह कार्यक्रम सभी हस्ताक्षर दर्ज किए जाने के बाद पांच वर्ष 2024-2029 की अवधि के लिए वैध रहेगा।

A

Page **10** of **11**

2

अन्च्छेद 15

समापन

जब तक कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को राजनयिक चैनलों के माध्यम से समापन की इच्छित तारीख से छह (6) माह पहले लिखित रूप में सूचना देकर इस कार्यक्रम को समाप्त नहीं करता है, तब तक यह कार्यक्रम अपने कार्यकाल के पूरा होने तक निर्बाध रूप से जारी रहेगा।

अन्च्छेद 16

गैर-समाप्त और मौजूदा दायित्व

- (क) इस कार्यक्रम के समापन या समाप्ति की स्थिति में, इसके प्रावधान और किसी कन्वेंशन, संविदा और करार के पृथक प्रावधान किसी भी गैर-समाप्त और मौजुदा दायित्व या इसके तहत ग्रहण की गई या संयोजित परियोजनाओं को जारी रखेंगे।
- (ख) ऐसे किसी भी दायित्व को पूरा होने तक जारी रखा जाएगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप, अधोहस्ताक्षरियों ने अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत रूप से अधिकृत होते ह्ए, इस कार्यक्रम के दो मूल पाठों पर हस्ताक्षर किए हैं जिनमें से प्रत्येक हिंदी और अंग्रेजी भाषा में है और दोनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। व्याख्या में किसी भी भिन्नता के मामले में, अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

इस पर नवंबर 2024 के पन्द्रहवें दिन को अब्जा में हस्ताक्षर किए गए।

भारत गणराज्य की सरकार के

की ओर से

DAMINI RAIN Secrety (DI)

संघीय गणराज्य नाइजीरिया की सरकार

की ओर से

ERAIGHT JUNOMA U. AHMES

THE AMB. SUNOMA U. AHMES

THE PERMANENT SECRETARY

Page 11 of 11